crc.ddn99@gmail.com
Fax No..0135-2669384

संख्याः– 4757 / 6–वा0निरी0 / रा0प0–016

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1–आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल पौड़ी /
कुमायूँ मण्डल नैनीताल।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनांकः 08 दिसम्बर 2016

विषयः– **राजस्व अधिकारियों द्वारा वर्ष 2016–17 में शीतकालीन भ्रमण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–108 / (1)18(1) / 2013 दिनांक 23 जनवरी, 2013 एवं एतद्क्रम में परिषद् के पत्र संख्याः–556 / रा0प0–013 दिनांक 04फरवरी, 2013 जो आपको प्रेषित हैं, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. मुख्य सचिव के उक्त संदर्भित पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं अवगत कराना चाहूँगा कि शासन द्वारा संचालित नीतियों, विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों / योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचाने में राजस्व विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है और राजस्व अधिकारी जनता एवं प्रशासन के मध्य सेतु का कार्य करते है। फलस्वरूप सामान्य जनता में प्रशासनिक अधिकारियों की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए आप राजस्व अधिकारियों द्वारा शीतकालीन भ्रमण किया जाना आवश्यक हैं।

3. यद्यपि शासन के निर्देशों के अनुरूप आप द्वारा आन्तरिक एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जहां किसी अधिकारी का भ्रमण न हुआ हो, उन क्षेत्रों में शीतकालीन भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित कर लिया गया होगा। तथापि यदि अभी तक कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है, तो भ्रमण कार्यक्रम सुदूरवर्ती क्षेत्र जहॉ अभी किसी अधिकारी द्वारा भ्रमण न किया गया हो, के लिए निर्धारित किया जाय। अधीनस्थ अपर जिलाधिकारी,उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायव तहसीलदार को भी निर्देशित किया जाय कि वे यथा आवश्यकतानुसार अपने–अपने क्षेत्रों में अधिकाधिक भ्रमण सुनिश्चित करें और भ्रमण के दौरान कम से कम 10 दिन रात्रि विश्राम भी क्षेत्रों में किया जाय। भ्रमण के दौरान राजस्व अधिकारी विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ कार्यों की प्रगति,गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण / सत्यापन्न भी सुनिश्चित करेंगें।

4. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा मैदानी जनपदों में 15 नवम्बर से 15 मार्च तथा पर्वतीय जनपदों में 01 मार्च से 15 जून तक, क्षेत्र भ्रमण, स्थलीय निरीक्षण अवश्य कर लिया जाय। जिलाधिकारी अपने जनपद से स्वयं व सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रमण,स्थल निरीक्षण,सत्यापन के सम्बन्ध में अपनी

crc.ddn99@gmail.com
Fax No..0135-2669384

टिप्पणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक सम्बन्धित मण्डलायुक्त को तथा मण्डलायुक्त अपने तथा मण्डल के जिलाधिकारियों द्वारा किए गए भ्रमण,स्थलीय निरीक्षण,सत्यापन के संबंध में अपनी टिप्पणी माह के द्वितीय सप्ताह तक शासन/परिषद को उपलब्ध करायेंगे। इसके अलावा किये गये स्थलीय निरीक्षण, भ्रमण,रात्रि विश्राम से संबंधित सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर भी परिषद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अतएव मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप मुख्य सचिव के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 23 जनवरी 2013 में निर्दिष्ट राजस्व विभाग से संबंधित बिन्दुओं व अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का भी शीतकालीन भ्रमण के समय समीक्षा, स्थलीय निरीक्षण, सत्यापन कराने का कष्ट करेंगें।

संलग्न - यथोपरि

भवदीय,

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
08.12.2016
आयुक्त एवं सचिव